बिहार सरकार
उद्योग निदेशालय

पत्रांक ..../ पटना, दिनांक ....

सं0 सं0–05/उ0नि0ब0 (विविध पत्राचार) 04/2018

प्रेषक,

उद्योग निदेशक,
बिहार, पटना।

सेवा में,

सहायक उद्योग निदेशक(लेखा), उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना।
सहायक उद्योग निदेशक(तकनीकी), तकनीकी विकास निदेशालय, उद्योग विभाग, बिहार, पटना।
वरीय लेखा पदाधिकारी, हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय, बिहार, पटना।
प्रशाखा पदाधिकारी, खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय, बिहार, पटना।
सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ (हस्तकरघा), राजेन्द्रनगर, पटना एवं सहायक निबंधक, बुनकर सहयोग समितियाँ, गुलजारबाग, पटना–800008
सहायक उद्योग निदेशक (कोटि नियंत्रण) कार्यालय, पटना प्रमंडल, पटना, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर एवं भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर।
सहायक उद्योग निदेशक(रेशम), पूर्णिया, पटना, मुजफ्फरपुर एवं भागलपुर।
उप विकास पदाधिकारी(वस्त्र), गया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर एवं भागलपुर।
प्राचार्य, बिहार रेशम एवं वस्त्र संस्थान, नाथनगर, भागलपुर।
प्रबंधक, पोलिस्टर एवं सिल्क वस्त्र प्रशिक्षण–सह–उत्पादन केन्द्र, बरारी, भागलपुर।
परियोजना प्रबंधक, मलवरी–प्रसार–सह प्रशिक्षण केन्द्र, रानी पोखर, वैशाली/फरीदपुर, सिवान/मुशहरी, मुजफ्फरपुर/ढेकसारा, किशनगंज/सहरसा/राघोपुर–बखरी, सीतामढ़ी/कुमारबाग, बेतिया/ लकड़ीकोला, बांका।
अग्र–परियोजना पदाधिकारी, इनारावरण कटोरिया, बांका/श्याम बाजार, बांका/गंगटामोड़, मुंगेर/ कौवाकोल, नवादा/अधौरा, कैमूर/तसर क्रय–विक्रय संगठन, बांका।

विषय : **विभिन्न कार्यालयों से वेतनादि/ए0सी0पी0/एम0ए0सी0पी0 के मद में की जा रही अधियाचना के संबंध में।**

महाशय,

चालू वित्तीय वर्ष 2018–19 में राशि का आवंटन CFMS प्रणाली से हो रहा है। प्रायः सभी कार्यालयों को वेतनादि के अन्तर्गत विभिन्न विषय शीर्षों वेतन, जीवन यापन भत्ता, मकान किराया भत्ता, परिवहन भत्ता, चिकित्सा भत्ता आदि में राशि का आवंटन हो चुका है। कुछ कार्यालयों से बकाया वेतन/ए0सी0पी0/एम0ए0सी0पी0 के मद में अतिरिक्त राशि की अधियाचना की जा रही है। विदित हो कि CFMS प्रणाली लागू होने के बाद इन मदों में राशि की अधियाचना विभिन्न विषय शीर्षों वेतन, जीवन यापन भत्ता, मकान किराया भत्ता, परिवहन भत्ता, चिकित्सा भत्ता आदि में अलग–अलग दर्शाते हुए की जानी है तथा आवंटन भी इसी प्रकार किया जाना है।

वेतनादि के मद में अब तक किया गया आवंटन वित्तीय वर्ष के प्रथम छः महीनों के अनुमानित व्यय के लिए किया गया है। इसके बाद की जाने वाली अधियाचना से पूर्व यह आवश्यक है कि बकाया वेतनादि/ए0सी0पी0/एम0ए0सी0पी0 एवं वित्तीय वर्ष के अंत तक होने वाले संभावित स्थापना व्यय का आकलन कर लिया जाय तथा आवश्यक अतिरिक्त राशि की अधियाचना उपर्युक्त विभिन्न विषय शीर्षों में अलग–अलग दर्शाते हुए की जाय।

अतः अनुरोध है कि उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए ही अतिरिक्त राशि की अधियाचना की जाय।

विश्वासभाजन
ह0/–
उद्योग निदेशक
बिहार, पटना।

ज्ञापांक 2685 पटना, दिनांक 1·8·18

प्रतिलिपि :– आई0टी0 मैनेजर, उद्योग विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

उद्योग निदेशक
बिहार, पटना।

1184 New Tall